प्रेस नोट 11/11/2020

मुख्तार अंसारी गिरोह आई0एस0 191 के नजदीकी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, शस्त्र (पिस्टल) जब्त–

जनपद मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.11.2020 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी मऊ श्री अमित सिंह बंसल द्वारा, जुफिकार पुत्र सलाउद्दीन निवासी कासिमपुरा थाना कोतवाली मऊ का शस्त्र लाइसेंस (35/पी–4/95) निरस्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त जुफिकार, मुख्तार अंसारी गिरोह का नजदीकी है जो शस्त्र को लेकर सार्वजनिक स्थान पर लहराता है तथा लोगों भयक्रांत करता है। इसकी गतिविधियां थाना क्षेत्र व आस–पास के क्षेत्रों में सामान्यतः कानून/शांति व्यवस्था के लिये घातक हैं तथा इसके द्वारा किसी भी समय अपराध कारित कर देने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है तथा उक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 769/2012 धारा 143,447,352,506,419,420 भादवि का अभियोग भी पंजीकृत है।

गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार–

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना हलधरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 439/20 धारा 3(बी)(2) व 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त फैयाज अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद ग्राम बिलौझा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त फैयाज अहमद एवं उसके साथी के विरुद्ध मु0अ0सं0 237/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है और यह अपने साथी के साथ मिलकर अवैध रूप से गोवंश पशुओं की तस्करी व उनका बढ़ कर उसके मांस को बेचने के कार्य करता है।

चोरी की मोटर साईकिल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.11.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सियाबस्ती कटकटी पोखरी के पास से सत्यम साहनी पुत्र उमेश निवासी सियाबस्ती थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मोटर साईकिल सूपर स्प्लेंडर (यूपी 54 एजे 0807) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 768/20 धारा 411,413,414 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

जुआ खेलते हुये तीन व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा दिनांक 10.11.2020 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रसूलपुर देवारा के पास से जुआ खेलते हुये बृजेश कुमार पुत्र रामविलास, बृजेश कुमार पुत्र रामभजन व मुकेश पुत्र शेषनाथ निवासीगण नवापुरा थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1500 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 522/20 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानो द्वारा आज दिनांक 11.11.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 516/20 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्त शिवम चौहान पुत्र खरभान निवासी तारनपुर थाना दोहरीघाट व थाना मधुबन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 697/20 धारा 452,376 511 भादवि में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र रमाकांत निवासी सउदी थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 20 व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानो द्वारा आज दिनांक 11.11.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा विनोद यादव, संजय, विकास, मंडल, हरिकेश, हरिओम, लक्ष्मण निवासीगण भैंसा खरग थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा विरेन्द्र निवासी नयापुरा, देवनरायण, लालू व सतेन्द्र कुमार निवासीगण मझवारा थाना घोसी, थाना मधुबन पुलिस द्वारा सजरुद्दीन निवासी रामनगर थाना रसड़ा बलिया, सनीप्रकाश निवासी कटघराशंकर, दीपक, रामनरायण निवासीगण बदनपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अजय सोनकर, राहुल निवासीगण ढोलन थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रामवचन निवासी हरपुर, विश्वास निवासी इमिलियाडीह, विवेक गुप्ता निवासी ताजपुर थाना सरायलखंसी मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 11.11.2020 को यातायात माह नवम्बर –2020 मे यातायात प्रभारी संतोष यादव मय हमराह, का0 प्रवीण कुमार गुप्ता, हे0का0 अमलदार यादव, होम गार्ड मिथलेस सिंह, होम गार्ड अनिल कुमार, हो0गा0अमरजीत , पी0आर0डी0 अरविन्द कुमार, पी0आर0डी0 जगजीवन, के साथ ,आजमगढ़ मोड, बाल निकेतन, मिर्जाहादीपुरा, स्थानो पर यातायात नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक/स्वामी का सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना, रजिस्ट्रेशन, डी0एल0, इंशोरेन्स, फिटनेश विना हेलमेट, सीट बेल्ट , गलत नम्बर प्लेट मे कुल 115 वाहनो का चालान किया गया तथा 02 वाहन को पेपर न होने की वजह से सीज किया गया तथा जनता को जागरूक करने के लिए यातायात नियम लिखे हैण्डविल बाटे गये । जिसमे विना हेलमेट के 55, सीट बेल्ट–09, गलत नम्बर प्लेट पर 10, बिना डी0एल0 17, मोबाईल फोन –08 तथा ध्वनि प्रदूषण मे –05 तथा तीन सावरी –11 चालान की कार्यवाही की गयी ।